P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February (Part2) * 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

विस्थापितों की समस्या : माही परियोजना के सन्दर्भ में

कविता चौधरी
सहायक आचार्य,
भूगोल विभाग,
श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय,
झुंझुनूं, राजस्थान, भारत

सारांश

माही सिंचित क्षेत्र में विकास की समस्या मुख्य रूप से यहाँ के पिछड़ेपन, स्थानीय निवासियों की गरीबी और जनजाति वर्ग के लोगों तथा शेष आबादी के मध्य तालमेल या समन्वय पर आधारित है।

मुख्यतः विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। उन्हें आवास, कृषि भूमि तथा रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये जाने चाहिये, जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सके।

सामाजिक समस्याओं के अन्तर्गत अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, राजनैतिक अज्ञानता, निर्धनता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, आवास, ऋणग्रस्तता एवं अत्याचार से सम्बन्धित है। इनके समाधान के लिये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। जिसमें बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जाने की महत्ती आवश्यकता है। इसके साथ ही रोजगारोन्मुख शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणों की सुविधा मुहैया करवायी जानी चाहिए।

मुख्य शब्द : विस्थापित जनसंख्या, जनजाति, वर्ग, माही बजाज सागर परियोजना, पुनर्वास, काश्त भूमि, अर्थव्यवस्था, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आवासीय भूमि, भूमि आवंटिन।

प्रस्तावना

विकास के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उसमें वहाँ निवास करने वाली जनता की सहभागिता परम आवश्यक है। जिससे क्षेत्र के समन्वित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। किन्तु कई बार विकास एक दुस्वपन सा हो जाता है, जब वह ऐसे तरीकों से हो, जिसके अन्तर्गत जिनके लिये विकास किया जा रहा हो वहीं उस विकास पर भेंट चढ़ जाए। राजस्थान के दक्षिणांचल के विकास के लिये माही बजाज सागर परियोजना की रूपरेखा रखी गयी। जिसमें बांध के निर्माण के लिये बस्तियों को विस्थापित करना आवश्यक हो गया।

अध्ययन का उद्देश्य

माही बांध जल भराव क्षेत्र के गाँवों के विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या, स्थानीय लोगों के आवास व रोजगार की समस्या, क्षेत्र के लोगों का पिछड़ापन, सामान्य जाति वर्ग एवं जनजाति वर्ग के मध्य सामाजिक–आर्थिक भेदभाव की समस्या वर्तमान समय तक दिखाई देती है।

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य स्थानीय निवासियों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षिक करना है। जिससे कि जो आर्थिक–सामाजिक समस्यायें यहाँ वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। उनका उचित समाधान खोजा जा सके।

माही परियोजना क्षेत्र मुख्यतः जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इन्हीं लोगो के सर्वांगीण विकास हेतु इस परियोजना का शुभारम्भ किया गया। उक्त शोध पत्र जनजातीय क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में आये परिवर्तनों का विश्लेषण करके, विकास की मुख्य धारा में उन्हें सम्मिलित करने के लिये एक प्रयास है।

शोध पद्धति

अध्ययन को वस्तुनिष्ठ एवं अत्यधिक विश्लेषणात्मक बनाने के लिये आनुभाविक एवं सांख्यिकीय विधियाँ प्रयोग में ली, जिसके लिये क्षेत्र की सूचनाएँ तहसील एवं ग्राम स्तर पर एकत्रित की गई। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों आँकड़ों का प्रयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़ों के सर्वेक्षण हेतु सम्बंधित कार्यालयों, पटवारी, ग्राम सेवक, विस्थापितों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रश्नावली आधारित आँकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया। शोध पत्र में प्रयुक्त द्वितीयक आँकड़ों के लिये विभिन्न रिपोर्ट्स, जनगणना, सांख्यिकीय रूपरेखा, विभिन्न कार्यालयों जैसे माही बजाज सागर परियोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उदयपुर संभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय तथा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त रिपोर्ट को शामिल किया गया।

अध्ययन में प्रयुक्त प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त समंकों एवं सूचनाओं को सारगर्भित करके अध्ययन के निष्कर्ष निकाले गये।

सर्वेक्षण विधि में प्रश्नावलियों का प्रारूप तैयार करके ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण किया गया। प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर चयनित मानव अधिवासों के सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों की सहायता से उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में हो रहे बदलाव का अध्ययन किया गया।

माही परियोजना के अन्तर्गत विस्थापित जनसंख्या की समस्या

कोई भी नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय होती है। जिसका उपयोग सिंचाई, बिजली की आपूर्ति, पेयजल, पर्यटन, मत्स्योत्पादन, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, भौतिक आर्थिक विकास, नौकायन आदि विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। किसी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली में नदी परियोजना का मुख्य हाथ होता है और यदि नदी परियोजना किसी आदिवासी पिछड़े क्षेत्र में हो तो उस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास एवं कायाकल्प में नदी परियोजना की महत्ती भूमिका होती है।

आदिवासी अँचल में स्थित माही नदी परियोजना, विकास की एक नई गाथा लिख रही है। माही बजाज सागर परियोजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर उत्तर–पूर्व में पहाड़ियों के बीच बोरखेड़ा ग्राम के निकट माही नदी पर माही बाँध का निर्माण किया गया है। माही बाँध की अवस्थिति $23^{o}37'9''$ उत्तरी अक्षांश एवं $74^{o}33'$ पूर्वी देशान्तर पर है। इस बांध की कुल लम्बाई 3109 मीटर है। जिसमें 435 मीटर लम्बे एवं अधिकतम 74.5 मीटर ऊँचे सीमेन्ट एवं कंकरीट बांध का निर्माण किया गया है। दाएं तथा बाएं किनारों पर 2674 मीटर लम्बे मिट्टी के बांध का निर्माण किया गया है, जिसकी अधिकतम ऊँचाई 43 मीटर है। अधिशेष वर्षा जल निकासी के लिये बांध में 16 गेट बनाए गये है जिनसे अधिकतम 9 लाख घनफुट प्रति सेकण्ड की गति से जल निस्तारित किया जा सकता है। माही बांध उत्तर–पूर्व में है जबकि माही बांध का जल भराव क्षेत्र बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से लेकर पूर्वी ओर तक फैला हुआ है।

माही नदी पर दूसरा बांध गुजरात राज्य में कडाना बांध का निर्माण हुआ। जिसका जल भराव क्षेत्र बांसवाड़ा जिले तक विस्तृत है।

माही बजाज सागर परियोजना द्वारा माही बांध के निर्माण से बांसवाड़ा जिले के 98 ग्राम के 3652 परिवार विस्थापित हुए थे। विस्थापित परिवारों के लिये राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार इन विस्थापितों को भूमि का मुआवजा नकद राशि के रूप में देकर तथा आवासीय एवं कृषि भूमि का आवंटन कर पुनर्वासित कर दिया गया था। जनजाति क्षेत्र होने के कारण इस भूभाग को प्रारम्भ से ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझा गया। इसलिये जनजाति वर्ग के व्यक्ति को उसके अपने भूखण्ड का नकद मुआवजा बहुत ही कम और नगण्य दिया गया। दूसरी ओर जनजाति वर्ग के लोग प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आत्मनिर्भर और पर्याप्त अर्थव्यवस्था पर परम्परा से रहते आये थे। इसलिये अपने क्षेत्र से बेदखल होने के बाद बाहर की अर्थव्यवस्थाओं में जीविकोपार्जन उनके लिये कठिनाई भरा हो गया। इसलिये नई परियोजना के अन्तर्गत वे लोग रोजगार पाने की आशा भी नहीं कर सकते थे। इनको दी गई मुआवजे की राशि केवल सम्पत्ति का विनिमय था, जीविका का आधार नहीं। इस कारण एक बार राशि मिलने के बाद आदिवासी इलाकों में खुशहाली तो आ गई मगर बाद में चारों ओर गरीबी और बिखराव का आलम बन गया। उसके बाद ये लोग भूमिहीन मजदूर बन गये और इनके पास शहरों की फुटपाथ एवं गन्दी बस्तियों में बसने के अलावा दूसरा कोई चारा शेष नहीं रहा।

सरकारी प्रयासों के अन्तर्गत माही व कडाना बांध के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु बड़े पैमाने पर अनेक वनक्षेत्रों में काबिल काश्त भूमि पर लोगों को बसाया गया। यह प्रक्रिया एक दशक से भी ज्यादा समय तक चलती रही और आज लगभग 40 वर्ष उपरान्त भी अनेक विस्थापितों को उनके हक की भूमि प्राप्त नहीं हुई हैं। यह प्रक्रिया बेहद जल्दबाजी में बड़े अव्यवस्थित ढंग से की गई। जिसके कारण पुनर्वास की आड़ में अनेक अच्छे वन क्षेत्र अतिक्रमण के शिकार हो गये। समय के साथ ये स्थान भी अपने आस पास के वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर काश्त करने के केन्द्र बन गये। आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि पुनर्वास हेतु किन वनखण्डों की कितनी भूमि वन क्षेत्र से पृथक की गई थी और कितनी विभाग के पास वापस आई।

कुल विस्थापित परिवारों में से कुछ विस्थापित परिवारों ने भूमि का आवंटन होने तथा कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आंवटित भूमि अकृषि योग्य बताकर इस भूमि पर काश्त नहीं की एवं निरन्तर कब्जा नहीं बनाये रखा। जिसके कारण स्थानीय निवासियों ने इन विस्थापित परिवारों को आंवटित भूमि पर कब्जा कर काश्त करना प्रारम्भ कर दी। ऐसे विस्थापित स्वयं को आंवटित भूमि का कब्जा दिलवाने की मांग करते रहे, किन्तु स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका से कब्जा दिलाया जाना संभव नहीं हो सका।

दिनांक 27, 28 अप्रैल, 2006 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बांसवाड़ा यात्रा के दौरान अवशेष माही विस्थापितों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। जिससे माननीया मुख्यमंत्री ने इनके पुनर्वास की घोषणा की। जिसकी पालना में जिले में पुनर्वास से शेष माही विस्थापितों का सर्वे करवाया गया। जिसमें 905 विस्थापित परिवार पुनर्वास से अवशेष पाये गये। ये आकंड़े तो सरकारी है। अभी भी हजारों परिवार विस्थापन का दंश झेल रहे है।

सरकार द्वारा इन 905 अवशेष माही विस्थापितों को इन्हें पूर्व में आवंटित भूमि के कब्जे दिलवाने के प्रयास किये गये किन्तु जनप्रतिनिधियों द्वारा यह निवेदन किया गया कि यदि माही विस्थापितों को आवंटित भूमि पर काबिज काश्तकारों को हटाया जाता है तो जन आक्रोश उत्पन्न होगा। अतः कानून व शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से कब्जे नहीं दिलवाये गये। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री

महोदया की बांसवाड़ा यात्रा के दौरान अवशेष माही विस्थापितों को पुनर्वासित करने बाबत की गई घोषणा की पालना में जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर विशेष अभियान चलाकर अवशेष 905 विस्थापित परिवारो में से 659 विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक रूप से अन्य भूमि आवंटित कर अथवा सामान्य परिस्थिति होने के कारण कब्जे दिलवाकर तथा वन भूमि पर काबिज 80 विस्थापित परिवारों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत वन भूमि के हक पत्र वितरित कर पुनर्वासित कर दिया गया है।

सरकारी आंकड़ो के अनुसार वर्तमान में जिले के मात्र 166 विस्थापित परिवार जो कि वर्जित किस्म की भूमि पर काबिज है, पुनर्वास से शेष है। जिनमें से 44 विस्थापित परिवार बांसवाड़ा शहर के 8 कि.मी. के पेरा–फेरी क्षेत्र में काबिज है उन्हे माही कमाण्ड क्षेत्र में भूमि आवंटन के 1984 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र से 8 कि.मी. की परिधि में आवंटन पर प्रतिबन्ध होने के कारण भूमि का आवंटन किया जाना संभव नही हो पा रहा है। 84 विस्थापित परिवार जंगल किस्म की भूमि पर, 5 विस्थापित परिवार तालाब, नाला एवं ग्राम पंचायत की भूमि पर एवं 33 परिवार वन भूमि पर काबिज है। यह सम्पूर्ण भूमि वर्जित किस्म की भूमि है।

अनैच्छिक पुनःस्थापन से मनौवैज्ञानिक और सामाजिक – आर्थिक दोनों प्रकार के तनाव में वृद्धि होती है। इसका उदाहरण माही सिंचित क्षेत्र में भी नजर आता है। पुनर्वास के समय कुछ परिवारों ने अपने पैतृक आवास को नहीं छोड़ा तो वे लोग आज भी माही बांध भराव क्षेत्र में टापुओं पर निवास कर रहे है। ये लोग विकास के विभिन्न आयामों से बहुत दूर है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं लेने के लिये भी इन्हें मुख्य शहर तक आना होता है। जिसके लिये ये नावों का प्रयोग करते है। टापुओं पर यातायात मार्ग जाल, विद्यालय, चिकित्सा सुविधा, बिजली आदि आधारभूत सुविधाओं का नितान्त अभाव है। इन्हें भी पुनर्वासित करके विकास की मुख्यधारा में लाने के प्रयास किये जाने चाहिये।

किसी भी व्यक्ति का अपने पैतृक स्थान और परिवेश से आत्मीय व भावनात्मक लगाव होता है जिस कारण उस क्षेत्र को छोड़कर नये क्षेत्र में जाकर रहने की बात सोची भी नहीं जा सकती। विस्थापित होने के व्यापक परिणामों में उत्पादन के साधनों का नष्ट होना, बिखरना, पुश्तैनी आवासीय स्थलों का टूटना, पवित्र स्थलों जैसे कब्रों, मन्दिरों आदि का दूषित होना, रिश्तेदारी, भाईबन्धु, पारिवारिक संबंधों का बिखरना, समुदाय में जो अनौपचारिक सामाजिक संगठन होते है जो व्यक्ति को परस्पर सहयोग व सहायता प्रदान करते है वे सभी समाप्त हो जाते है। इसके साथ ही व्यापार व हाट–बाजार के सूत्र भी नष्ट हो जाते है।

निष्कर्ष

माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा प्रदान करना तथा बिजली उत्पादन करना है। जिससे क्षेत्र में कृषि भूमि में वृद्धि, कृषि उपज में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, संसाधनों का विकास, नगरीकरण, औद्योगीकरण, जनजाति व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आधारभूत सुविधाओं में विस्तार आया है। किन्तु इस विकास का हर्जाना यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या को भोगना पड़ा। इसलिये विस्थापन से पहले पुनर्वासित होने वाली जनसंख्या को मानसिक रूप से विस्थापन के लिये तैयार किया जाना चाहिये। जिससे वे विस्थापन की पीड़ा भूलकर नई जीवनशैली को अपना सके। मुख्यतः विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। इसके साथ ही उत्पादन विधियों का पुननिर्माण, रहन–सहन के स्तर में सुधार, सोहार्द्रपूर्ण स्थिति होने की भी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिये। उन्हें आवास, कृषि भूमि तथा रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये जाने चाहिये। जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

प्रो. भारद्वाज, ओ.पी (1960–64) लैण्ड यूज इन लो लैण्ड ऑफ सतजूल इन दी वीरन्ट – जालंधर सिम्पल स्टडीज NGJI 10 (1), पृ. 195

चौरसिया, बी.बी. (1990) सेड़यूल्ड कास्ट एण्ड सेड़यूल्ड ट्राइब इन इंडिया

सिंघवी, स्नेहलता, अली, अहमतद, सैनी, विपिन (2009) लैण्ड डीग्रेशन इन द रावतसर कमाण्ड एरिया ऑफ IGNP (Stage-1) एन इनवायर्नमेन्टल इम्पैक्ट असेस्मेन्ट, एनाल्स ऑफ द राजस्थान ज्योग्राफिकल ऐसोशियसन, भीलवाड़ा, वोल्यू 26,, पृ. 57–71

आहूजा, राकेश (2009) वेलफेयर एण्ड ट्राइबल डेवलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन

प्रतिवेदन, कार्यालय माही परियोजना, बांसवाड़ा

प्रगति रिपोर्ट, कार्यालय माही परियोजना, बांसवाड़ा

प्रगति रिपोर्ट, समाज कल्याण विभाग, बांसवाड़ा